भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3639

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

जाट आरक्षण

3639. श्रीमती संजना जाटवः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की केन्द्रीय सूची में आरक्षण प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धौलपुर के जाटों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की केन्द्रीय सूची में आरक्षण प्राप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का राजस्थान में धौलपुर जिले के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो भरतपुर संसदीय क्षेत्र के धौलपुर जिले के जाटों को कब तक अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ग): उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 17.03.2015 के आदेश में अधिसूचना संख्या 20012/129/2009-बीसी-II, दिनांक 4.3.2014 को रद्द और खारिज कर दिया था, जिसके तहत नौ राज्यों बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान (भरतपुर और धौलपुर जिला), उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया था।

(घ) और (ङ): संसद कानून द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल कर सकती है या इससे बाहर कर सकती है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जातियों और समुदायों को शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से नृवंशविज्ञान (ethnographic) रिपोर्ट आदि सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करती है, जिसमें संबंधित जातियों/समुदायों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उचित ठहराया गया हो और उस पर सार्वजनिक सुनवाई के परिणाम का विवरण दिया गया हो।

****